

हुकूम की तामील  
में जारी हुए

11/9/25

पत्रावली पेश हुई जद्वुलाभ .....  
अधिकारी .....  
पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक ..... 13/10/25  
को पेश हों । ४

13/10/25

पत्रावली पेश हुई । जार्ज वकील अपरा दावा  
अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका  
है अतः प्राण पत्र 212 RAA का आगे  
चलाने का कोई औचित्य नहीं है । पत्रावली  
इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली  
फैसल कुमार लेकर दायित्व दफ्तर  
हो ।

